**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3106

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के वेतनमान में समानता**

**3106. श्री नरेश अग्रवालः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तदर्थ आधार पर पढ़ा रहे शिक्षकों

का वेतनमान एक समान करने का फैसला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): यूजीसी (विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों का रख-रखाव) विनियम, 2010 में तदर्थ शिक्षकों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने तदर्थ शिक्षकों हेतु कोई वेतमान निर्धारित नहीं किया है।

\*\*\*\*\*